संख्या: 04/2021/72 ई-2/तेरह-2021-413/87

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 12 जनवरी, 2021

विषय:- उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयांतर्गत अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 दिनांक 15.12.2020. को गजट में प्रकाशित कर दी गयी है जो वर्तमान में प्रभावी है। बार लाइसेंसों की स्वीकृति के संबंध में प्रचलित समस्त पूर्ववर्ती नियमावलियों, अधिसूचनाओं एवं आदेशों को इस नियमावली से असंगत होने की सीमा तक अधिक्रमित करते हुये यह नियमावली बनायी गयी है।

2. बार लाइसेंसों की स्वीकृति के संबंध में पूर्व प्रचलित प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुये, उक्त नियमावली के नियम-9(1) के अनुसार होटल/रेस्त्रा/क्लब बार /एयर पोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर अब आबकारी आयुक्त के स्तर से प्रदान किये जाने का प्राविधान किया गया है। पूर्व में विहित मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति के गठन का प्राविधान उक्त नियामवली के नियम-8 में किया गया है। होटल/रेस्त्रा बार लाइसेंस हेतु प्रस्तावित परिसर का कुर्सी क्षेत्रफल न्यूनतम 200 वर्ग मीटर होना चाहिये तथा न्यूनतम 40 व्यक्तियों को एक साथ बैठने की क्षमता होनी चाहिये। होटल/रेस्त्रा बार लाइसेंस के संबंध में रेस्त्रा के चालू स्थिति में होने का विनिश्चय उक्त नियमावली के नियम-9(11) के अनुसार बार लाइसेंस निर्गत करते समय ही किया जायेगा। पूर्व में होटल/रेस्त्रा बार लाइसेंस हेतु प्रस्तावित परिसर में पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान होने की अनिवार्यता थी जिसमें छूट प्रदान करते हुये नियमावली के नियम-6(1)(च) के अंतर्गत लाइसेंस हेतु प्रस्तावित परिसर के 500 मीटर के अंतर्गत निजी/वैलेट पार्किंग /सार्वजनिक पार्किंग को भी अनुमन्य किया गया है। उक्त नियमावली के नियम-6 के अंतर्गत किसी मॉल या किसी वाणिज्यिक काम्प्लेक्स जिसमें बार स्थित हो, की सामान्य पार्किंग सुविधायें और वाशरूम, ऐसे बार की सुविधाओं के रूप में माने जाने का प्राविधान किया गया है। लाइसेंस स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने के सात दिन के अंतर्गत आवेदक को विहित लाइसेंस फीस का भुगतान करना होगा तथा पन्द्रह कार्यदिवस के अंतर्गत प्रतिभूति धनराशि जमा की जायेगी। निर्धारित अवधि में विहित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति नहीं जमा करने पर

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लाइसेंस की स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है। जिला स्तरीय बार समिति द्वारा कृत कोई विनिश्चय मण्डलायुक्त को अपील योग्य होगा। बिक्री बढ़ाने की दृष्टि से ग्राहकों को उत्प्रेरित करने हेतु मदिरा पान की प्रतियोगिता जैसे कृत्य में संलिप्त पाये जाने अथवा किसी एक लाइसेंसधारी को निर्गत की गयी मदिरा दूसरे बार लाइसेंस के परिसर में पाई जाने पर प्रथम बार रू.25000/- एवं द्वितीय बार रू.50000/- का जुर्माना लगेगा परन्तु तीसरी बार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

3. उक्त के अतिरिक्त उक्त नियमावली में रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूज़ों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिये एफ.एल.-8 प्रपत्र में लाइसेंस स्वीकृत किये जाने का भी प्राविधान किया गया है।

4. उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 के प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय बार समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों पर अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर बार अनुज्ञापनों को स्वीकृत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि जिला स्तरीय बार समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों पर बार अनुज्ञापन की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती है, तो ऐसी दशा में स्वीकृत न किये जाने का उल्लेख तर्कसंगत कारण सहित करते हुए आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

5. अत: उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली, 2020 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार विभिन्न प्रकार के बार लाइसेंसों की स्वीकृति के प्रकरणों में निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 04/2021/72(1) ई-2/तेरह-2021तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in